

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक), भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त निदेशक के पद में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, संयुक्त निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
संयुक्त निदेशक।	4*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 ₹०)।

चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	
(5)	(6)	(7)	
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिरीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<p>प्रोन्नति :- उप निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रू० 67700-208700) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित उन्नत संचार में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिरीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (रू० 67700-208700) में या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री; और (iii)</p>

			रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में दस वर्ष का अनुभव; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या संचार या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री; और (v) रेडियो संचार, कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में आठ वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)		(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य ; 3. निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेटार - सदस्य।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।	

[फा. सं. ए. 11016/1/आर. आर (जेडी)/2020-प्र. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

(Directorate Of Coordination)

(POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 5th July, 2024

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Coordination Police Wireless (Additional Director, Joint Director and Deputy Director) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Joint Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to the method of recruitment to the post of Joint Director in the Directorate of Coordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Coordination Police Wireless, Joint Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Joint Director.	4 * (2024) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).
Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Deputy Director in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training programme in Advanced Communication conducted by the Directorate of Coordination Police Wireless.

			<p>Note.- where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis post in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience,-</p> <p>(i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Telecommunication or Communication or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute; or (ii) Master degree in Physics or Computer Applications from a recognised University or institute; and (iii) with ten years experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication; or</p> <p>(iv) Master of Engineering or Master of Technology in Electronics or Telecommunication or Communication or Computer Science or Information Technology from a recognised University or institute; and (v) with eight years experience in Radio Communication, Computer Communication or Satellite Communication.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for</p>
--	--	--	---

		consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs –Member; 3. Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member.		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11016/1/RR(JD)2020-Ad.II]
CHANDAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 98—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में निदेशक (पुस्तकालय), सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, निदेशक (पुस्तकालय), सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी तथा पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।